संख्या-8/2026/423/47-का-2-2026

प्रेषक,

एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
4- सचिव,
उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
5- सचिव,
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-2 **लखनऊ :: दिनांक 20-09-2026**

विषय- उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 की परिधि से 'उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन)' के पदों को अपवर्जित किये जाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

अधिसूचना संख्या- 01/2026/06/47-का-2-2026, दिनांक 30 जनवरी, 2026 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 के द्वारा मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अनुसंधानविदों, जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन के अन्तिम दिनांक तक सक्षम प्राधिकारी से अपने अवधि का सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया हो, उन्हें सेवा में पद पर भर्ती के लिए सुसंगत सेवा नियमावली में विहित अधिकतम आयु सीमा में शिथिलीकरण एवं आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली मुख्य परीक्षा में Weightage दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

2- यह उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पदों पर चयन एवं नियुक्तियाॅ 'उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली' तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा समय-समय पर प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों एवं विशिष्ट योग्यताओं (यथा- विधि स्नातक एवं विधिक कार्य अनुभव आदि) के अन्तर्गत संचालित होती है।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली निर्गत किया गया है अत: इस शासनादेश पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- शासनादेश की प्रमाणिकता https://https.up.shasanadesh.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शिथिलीकरण) नियमावली, 2026 के अन्तर्गत देय आयु सीमा में छूट एवं अधिमान संबंधी प्राविधान 'उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन)' के पदों पर होने वाली सीधी भर्तियों एवं चयन प्रक्रियाओं पर लागू नहीं होगे।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

एम0 देवराज
प्रमुख सचिव।

संख्या-8/2026/423(1)/47-का-2-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष कार्याधिकारी, श्रीराज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को 500 प्रतियॉ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

विजय कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली निर्गत किया गया है अत: इस शासनादेश पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- शासनादेश की प्रमाणिकता https://https.up.shasanadesh.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

https://up.shasanadesh.gov.in